रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032023-244451
CG-DL-E-17032023-244451

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944
No. 161] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

**सा.का.नि. 200(अ).—** केंद्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 8क की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शत्रु संपत्ति निपटान के लिए मार्गदर्शन आदेश, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम शत्रु संपत्ति निपटान के लिए मार्गदर्शन (संशोधन) आदेश, 2023 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. शत्रु संपत्ति निपटान के लिए मार्गदर्शन आदेश, 2018 के पैरा 9 के उप पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

(2) दखल की हुई शत्रु संपत्ति की दशा में,--

(क) शत्रु संपत्तियों की बेदखली की प्रक्रिया संपत्तियों के विक्रय से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त की सहायता से आरंभ की जाएगी;

(ख) एक करोड़ रुपए से कम मूल्य के लिए अभिरक्षक अधिभोगी को क्रय करने के लिए पहले प्रस्ताव करेगा और यदि अधिभोगी द्वारा क्रय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है तो शत्रु संपत्ति का निपटान उप पैरा (ग) और उप पैरा (घ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा;

(ग) एक करोड़ रुपए और एक सौ करोड़ रुपए से कम के मूल्यांकन पर भारत में शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक द्वारा ई-नीलामी या अन्यथा जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए, के माध्यम से और शत्रु संपत्ति निपटान समिति द्वारा अवधारित दर पर निपटान किया जाएगा;

(घ) भारत में शत्रु संपत्ति अभिरक्षक द्वारा लोक उद्यम ई-नीलामी प्लेटफार्म, मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड का उपयोग शत्रु संपत्ति की ई-नीलामी के लिए किया जाएगा ।

[फा. सं. 38/27/2020-ईपी]
संजीव सहगल, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 258(अ) तारीख 21 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. 201(अ) तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा तथा सा.का.नि. 826(अ) तारीख 17 नवंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2023

**G.S.R.200(E). —**In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 8A of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Guidelines for the disposal of Enemy Property Order, 2018, namely:-

**1. Short title and commencement.-**

(1) This Order may be called the Guidelines for the disposal of Enemy Property (Amendment) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Guidelines for the disposal of Enemy Property Order, 2018, in paragraph 9, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

(2) In case of occupied enemy property,-

(a) the process for eviction of enemy properties shall be initiated with the help of the District Magistrate or Deputy Commissioner before the sale of the properties;

(b) valued below Rs. One Crore, the Custodian shall offer for purchase to the occupant first and if offer of purchase is refused by the occupant, then the enemy property shall be disposed of in accordance with the procedure specified in sub-paras (c) and (d);

(c) having valuation of Rs. One Crore and below Rs. hundred Crore, shall be disposed of by Custodian of Enemy Property for India through e-auction or other-wise as may be decided by Central Government and at the rate as determined by the Enemy Property Disposal Committee;

(d) the e-auction platform of public enterprise, the Metal Scrap Trade Corporation Limited shall be used by the Custodian of Enemy Property for India for e-auction of Enemy Properties.

[F. No. 38/27/2020-EP]

SANJEEV SEHGAL, Jt. Secy.

**Note:** The principle Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. 258 (E) dated the 21st March, 2018 and subsequently amended, vide numbers G.S.R. 201 (E), dated the 8th March, 2019 and G.S.R. 826 (E) dated the 17th November, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA